

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

मसु

बनाम

जगदीश

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 247/2024

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27.11.24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती मसु पत्नी स्व. देवनाशरण जी ब्राह्मण
विरुद्ध श्री नवीन पिता स्व. देवनाशरण जी ब्राह्मण, 01 ब्रह्माल पिता
जय शरण जी ब्राह्मण निवासी सेगवा

निवासी- तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

सेगवा (तह. चित्तौड़गढ़) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 129 रकबा 0.12 ,
152 रकबा 0.19, खाता सं- 232 में पत्थर आराजी कीता 3
रकबा 0.74 है खाता सं- 145 में पत्थर आराजी कीता 5 रकबा 0.71 है.

कुल कीता 1+1+3+5=10 कुल रकबा है 0 की पत्थरगढी
कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज
रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम सेगवा (तह. चित्तौड़गढ़) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी
नम्बर 129 रकबा 0.12 है, 152 रकबा 0.19 है खाता संख्या 232 में
अर्जित आराजी कीता 3 कुल रकबा 0.74 है, खाता संख्या 145 में
अर्जित आराजी कीता 5 कुल रकबा 0.71 है.

कुल कीता 1+1+3+5=10 रकबा 1.76 है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी
किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का
खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500/- रूपये अक्षर है. एक हजार पालेन को नियम
प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर
पेश हो।

(बीनू देवल)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)